Government of India
Railway Protection Force Headquarters
Ministry of Railway

No. 2014 /SEC (CCB)/Train Escorting New Delhi Dated: 20 .11.2014

Directive No. 33

Sub: Guidelines on Train Escorting.

The escorting of trains has gradually emerged as a very important component of the security services which RPF provides. The following instructions are therefore being issued to ensure uniformity and effectiveness in train escorting :

2. Sr DSCs/DSCs concerned will coordinate with the concerned SP Railways, after every three months, to identify vulnerable trains and sections on which escort is required. Vulnerability of a train will be determined by the number of instances of Dacoity, Robbery, TOPB, Drugging, ACP, etc.If this exercise has not been done within the last three months, it will be done within the next 15 days, latest by 10th December.
3. A decision will then be taken by the SrDSC/DSC and the SRP as to which trains will be escorted by RPF and which by GRP. For obvious reasons, trains which are vulnerable to IPC offences should be given priority for GRP escort, and those vulnerable to Railway Act offences for RPF escort.
4. We must ensure that all vulnerable trains are escorted. However, if the number of trains to be escorted is more than the escort which RPF and GRP can provide, then it will be ensured that all "highly vulnerable" trains are escorted, but a system of "random escorting" is adopted in respect of other vulnerable trains. The idea is that criminal / anti-social elements must never be able to predict whether a vulnerable train will or will not be escorted. So, for example, if RPF and GRP can together escort 100 trains, and the number of "highly vulnerable" trains is 70, while the number of "vulnerable trains is 50, then all 70 "highly vulnerable" trains will be escorted but a system of "random escorting" will be adopted for the 50 other vulnerable trains.
5. Random escorting will be directly controlled by the IPF / OC GRPS concerned who may decide 1-2 hours before the train is to arrive, whether it will be escorted or not. Such trains may be escorted continuously for 3-4 days and then randomly once or twice a week, then again continuously for 2-3 days, and so on. The idea is that there should be no discernible pattern to the escorting. This will act as a salutary deterrent since criminals / anti-social elements will not be able to predict whether the train will be escorted on a particular day or not. This is the essence of the scheme and its success will depend entirely on the pro-active monitoring of the IPF / OC GRPS concerned.

6. SrDSCs / DSCs will submit a chart in the following proforma to their CSCs and ADG/IG GRP concerned on the last date of every month in respect of the coming month:

Train numbers of all trains of the division	Highly vulner -able	Vulner -able	Not Vulner -able	Reasons for vul-nerability	Section in which vul-nerable	Timing when train passes the section	Escort by GRP		Escort by RPF	
							Daily	Random	Daily	Random
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Escorts should normally comprise 1 party in-charge (SI, ASI, HC or senior Constable) and 5 constables. Smaller escorts may be deputed on less vulnerable sections if there is manpower shortage.

8. O/C GRPS and IPF of RPF must ensure that no GRP / RPF personnel is allowed to escort trains in a state of intoxication.

9. Escort party must be equipped with information regarding :

a. Active criminals (with their photographs or physical details, if available)

b. Phone numbers of GRPSs, RPF posts, local Police, RPF control room, etc.

c. Specific vulnerability, if any, of the train they are escorting (such as villages where ACP takes place, sections in which Dacoity / Robbery / TOPB / drugging happens, etc.)

d. Printed / neatly typed out copy (in local vernacular) of the "Do's & Don'ts" given below.

10. Escort parties must be issued proper command certificates and the details of escort deputed must be entered in the General diary / Roznamcha.

11. Same person must not be deputed as escort for the same section / train repeatedly / continuously.

12. Escorts must be briefed in detail by the IPF / Duty Officer about the problems peculiar to train / section where they are being deputed, the criminals / anti-social elements active in the area and the Do's & Don'ts of escorting. They should also be briefed about the right of private defence, i.e. under what circumstances, they can use Force/ Arms etc., for the offences against body and property of the passengers and self.

13. Escorts must be checked personally by IPFs (at-least three escorts each week), ASCs (at-least two escort each week), SrDSC / DSC (at-least four escorts each month), in the most vulnerable trains / sections and as far as possible from their own headquarters. During such checks, the checking officers will make an entry on the back of the command certificate of the escort party in-charge. They will also interact with passengers to cross-check the alertness and visibility of the escort. They shall make necessary diary entries duly recording their observations on escorts and send the same to their next superior within 24 hours for information and necessary action.

14. Sr. DSC/ DSC will ensure that escorting party is met by Duty Officers/ IPF of Posts / Out Posts during the journey of the escort at least in five trains a week.

15. Superior officers and Inspectors/ SIs conducting surprise checks on train escorts or the night duty officers attending the trains at night shall check the RPF escorts with regard to their conduct, their mental alertness, safety and safe handling of arms and ammunition and precautions thereof to prevent accidental firing.

16. Person in-charge of the escort must record the observations of the escort team in the daily dairy of the RPF Post at the destination station and the IPF concerned shall file a comprehensive report every fortnight to Sr.DSC/DSC.

17. Regular surprise checks by IVG staff shall also be conducted to prevent RPF train escorts from indulging in mal-practices. Stern action should be taken against erring RPF personnel. Accountability of supervisory staff under whose control such RPF train escorts work, should be clearly fixed.

18. Observation note of checking by the Divisional Officers and Post Commanders should be brought to the knowledge of Sr.DSC/ DSC and CSC.

19. An observation team should also be formed by Sr.DSC/DSC concerned to know the reaction of the passengers about the performance of the RPF escort in Mail/Exp. trains. Forms for passengers' feedback may be circulated through the RPF escorts for seeking valuable suggestions of the passengers for improvement in this field.

20. Escort parties should be especially briefed to be courteous to all passengers.

21. Escort parties must check promptly all the unscheduled stoppages and ACPs etc.

22. Sr.DSCs/ DSCs must ensure that escorts parties have FIR forms available with them in order to assist the passengers en-route without breaking journey for the purpose of lodging FIR. The form should be numbered serially with 03 copies for each serial. After filling the form and getting all 3 copies signed by the passenger concerned as well as by the senior-most RPF personnel present, one copy should be handed over to the complainant. The other 02 copies should be handed over to the next RPF Post where the train has scheduled stoppage. The RPF Post will enter the complaint in a register (showing name of complainant, Train number and Name, Date of occurrence, Nature of complaint, etc.) and send both copies promptly to the nearest GRP through special messenger. Receipt of the complaint should be acknowledged by the GRP on both copies, one to be

retained by the GRP for follow up action and the other to be brought back by the RPF post where it will be duly filed. In case the GRP staff refuses to acknowledge receipt of the complaint, the RPF messenger will record that fact on RPF copy of complaint along with the name of the GRP personnel to whom the complaint was handed over. The serial number and brief facts of the complaint and its transmission to GRP will be recorded in Roznamcha (General Dairy) and reported to SRP concerned through Sr.DSC/ RPF.

Register at RPF Post for monitoring progress of Passenger Offences under (16 Heads) sent to GRP/Civil Police for registration

S.No.	Name & Address of passenger from whom complaint received	Date of receipt of complaint	Brief facts	Date of sending to GRP/Civil Police	Name of PS	FIR No. of the case	Date of registration	Date and nature of Final Disposal

Guidelines for train escorting staff.

DO's

Before proceeding for train escorting:

1. Report at the post at least one hour in advance of departure of the train to collect Arms and Ammunition, Movement Order, FIR forms, Dragon search light, Walkie-Talkie, travelling authority, etc.,
2. Declare personal cash. It should be recorded in the register maintained for the purpose and also in the Movement Order.
3. Reach the platform of the allotted train at least 30 minutes in advance.
4. Be familiar with the topography of the area through which the train passes.
5. Report to the Guard and Driver of the train before departure and ascertain the details regarding scheduled stoppages, caution orders,(sections), etc., for train.

During train escorting:

1. Ensure that staff go to front and rear portion of the train and start moving in the coaches, in pairs/ threes at frequent intervals, keeping in mind the security aspects, and exchange information.
2. Ensure that your presence is visible by moving in at least three or four coaches, while the train is running, before the next halt station.
3. Ensure extra vigil on ladies compartment, especially during halt at wayside stations. Look out for miscreant activities and prevent entry of male passengers into ladies compartment.

4. Prevent unauthorized entry of beggars, vendors and look out for inflammable/ dangerous articles.
5. Advise passengers to keep the doors locked and to put chains on their baggage. Passengers must be educated regarding safekeeping of their valuables and to desist from consuming eatables and cold drinks offered by unknown persons/ strangers.
6. Detrain on either sides of the train, blow whistle and switch on Dragon lights, whenever the train stops at stations or in mid-sections.
7. Remain present near the gates when the train slows down to stop, or when the train is moving slowly after start, and keep watch if somebody is tries to get down from running train. This is the time when criminals snatch valuables from passengers and detrain.
8. Advise passengers not to touch any unclaimed and abandoned objects found at the platform or inside the coaches and, if found, to inform the escorting personnel/ Railway staff.
9. Exchange signature with RPF staff on Platform duty at stations.
10. Be courteous to the passengers and assist them in filing FIR in case of any crime.
11. Officers and men deputed for train escort must be 'Interactive'. They should reach out to women passengers, senior citizens, handicapped, infirm, etc. and assist them in case of need. They should introduce themselves as members of escort party to build rapport with passengers.
12. Report immediately to IPF concerned as well as Divisional Control Room in case of any mishap/ exigencies.
13. Hand over offenders apprehended en-route to the RPF/GRP at the next station along with a Report.
14. Ensure proper handing over and taking over charge from the preceding and succeeding escort party at interchange points.
15. Maintain discipline while escorting and maintain visible presence in train.
16. Ensure all mandatory security checks to guard against any untoward incidents.
17. Check coach meant for physically challenged persons.
18. Any other guidelines, if required, for a particular occasion.

If theft is reported:

1. Get the complaint form filled in and duly signed by the affected passenger and give acknowledgement to the party, in presence of the TTE, if available.
2. Intimate next RPF post and ensure the presence of RPF and GRP on the platform to hand over the complaint form and to facilitate enquiries, if required.
3. Be helpful and sympathetic towards the victim passenger(s).

If anybody is found committing or attempting to commit theft or any other crime in the train or on the platform:

1. Apprehend the culprits.
2. Conduct search of the culprit, if required, in the presence of witnesses.
3. Prepare 'Panchnama' and search report.
4. Collect the complaint from the affected passenger.
5. Hand over the culprit with property, documents and a short report to the in-charge of the nearest RPF Post and in turn to the GRP without further delay.

If any accident occurs:

1. Assist in rescue operations to the extent possible.
2. Ensure protection to the passenger belongings and Railway property.
3. Intimate Security Control and Local Police station regarding the incident.

DON'T :

1. Indulge in any indisciplined activity while on train escort duty.
2. Check the tickets of passengers.
3. Harass passengers on the plea of checking.
4. Indulge in any undesirable and unwarranted activity, which will tarnish the image and bring disrepute to the Force.
5. Make ostentatious display or demonstration of service weapons wantonly or carelessly handle weapons in a public place or in a train or platforms.

Misc. :

1. Senior officers should organize frequent interactive sessions with RPF personnel to counsel them and to resolve various hurdles faced by them. Simultaneously, co-ordination meetings between field level officials of RPF, Commercial, Operating and GRP should also be organized to sort out issues which are reported by escorts from time to time.
2. Handling of weapons with due care and caution, especially in crowded trains or stations, shall be explained to the RPF personnel in Suraksha Sammelans, duly sensitizing them regarding precautions to avoid accidental firing, etc. Such sensitization shall be done by Inspectors at Post level and in-charge of Outposts at the Outposts respectively during mounting and dismounting of duty. Sr.DSC/DSCs and ASCs shall also sensitize RPF personnel during Suraksha Sammelans.

Role of CSCs:

1. Co-ordination meeting between CSCs and GRP Chiefs must be done as per RPF Rule 259.5 in order to discuss the issues related with train escorting and to sort them out.

2. CSC should liaise with senior Rly authorities to ensure that SIM cards are provided to escort party I/Cs and arrangements are made to print these CUG mobile nos. on reservation charts/ tickets. This will help the passengers to contact escort parties on real-time basis for redressal of their problems.
3. CSCs, Addl. CSCs and Dy. CSCs should also randomly check train escort parties.

(Krishna Chaudhary)
Director General

Copy to:
1. Chief Security Commissioners RPF of all Zones, ICF, KRCL, CORE, Construction.
2. IG/RPSF, Railway Board
3. Director, JR RPF Academy, Lucknow

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

****

2017/सुरक्षा(विशेष)/Directive No.33/Hindi New Delhi, dated 18.04.2017

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
सभी भारतीय रेलें, के.आर.सी.एल., आर.डी.एस.ओ., कोर, आई.सी.एफ., निर्माण,

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.वि.ब.
बल मुख्यालय, 6वीं बटालियन, दयाबस्ती, दिल्ली-35
निदेशक, जगजीवन राम रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ

विषय: ट्रैन एस्कॉर्टिंग के संबंध में दिशा-निर्देश (निर्देश सं.33) का हिंदी रूपांतरण।

कृपया उपर्युक्त विषय में ट्रैन एस्कॉर्टिंग के संबंध में बोर्ड के पत्र सं. 2014/Sec(CCB)/Train Escorting, दिनांक 20.11.2014 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों (निर्देश सं.33- Directive-33) का हिंदी रूपांतरण अवलोकनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

उपर्युक्त दिशा-निर्देश रेलवे बोर्ड की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर भी अपलोड किए गए हैं।

संलग्न: यथोक्त

18/4/17
(सुमति शांडिल्य)
उप महानिरीक्षक/बहु अभिकरण केंद्र
रेलवे बोर्ड

भारत सरकार
रेल सुरक्षा बल मुख्यालय
रेल मंत्रालय

मं. 2014/एसईसी(सीसीवी)/ट्रेन एस्कॉर्टिंग   नई दिल्ली, दिनांक 20.11.2014

निर्देश सं. 33

विषयः- रेलगाड़ी अनुरक्षण के लिए दिशा-निर्देश।

रेलगाड़ी अनुरक्षण, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सेवाओं के एक अति महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामने आया है। अतः गाड़ी अनुरक्षण में एकरूपता लाने तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

2. प्रत्येक तीन महीने के बाद संबंधित वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त ऐसी संवेदनशील गाड़ियों व खण्ड जिनके प्रभावित होने की ज्यादा संभावना है तथा जहां अनुरक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान के लिए संबंधित रेलवे के पुलिस अधीक्षकों(एस.पी.) से समन्वय स्थापित करेंगे। किसी गाड़ी की संवेदनशीलता का निर्धारण डकैती, लूट, चोरी, जहर खुरानी, चेन पुलिंग आदि की घटनाओं की संख्या के आधार पर होगा। यदि यह कार्य पिछले तीन महीने के दौरान नहीं किया गया है तो इसे अधिकतम आगामी 15 दिनों के अंदर10 दिसंबर तक किया जाना है।

3. वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त तथा रेल पुलिस अधीक्षक द्वारा इस आशय का निर्णय लिया जायेगा कि किस ट्रेन को आर.पी.एफ. द्वारा तथा किस ट्रेन को जी.आर.पी. द्वारा अनुरक्षण किया जाना है। स्पष्टतः जिन गाड़ियों में भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों की अधिक संभावना है उन्हें जी.आर.पी. द्वारा तथा रेलवे एक्ट अपराध से संवेदनशील गाड़ियों को आर पी एफ द्वारा अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

4. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी संवेदनशील गाड़ियों को अनुरक्षण किया जाए। हालांकि यदि आर.पी.एफ. तथा जी.आर.पी. द्वारा दी जा सकने वाली अनुरक्षण की तुलना में अनुरक्षण की जाने वाली गाड़ियों की संख्या अधिक हो तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अति संवेदनशील गाड़ियों को अनुरक्षण कराया जाए। अन्य संवेदनशील गाड़ियों में अचानक अनुरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। इसके पीछे यह विचार है कि अपराधियों/असामाजिक तत्वों को यह पता न चल पाये कि कोई संवेदनशील गाड़ी में अनुरक्षण है या नहीं। इसलिए उदाहरण के तौर पर आरपीएफ तथा जीआरपी मिल कर 100 गाड़ियों को अनुरक्षण कर सकते हैं तथा अत्यधिक संवेदनशील गाड़ियां 70 है एवं संवेदनशील गाड़ियां 50 है तो सभी 70 अत्यधिक संवेदनशील गाड़ियों को अनुरक्षण किया जाएगा लेकिन 50 अन्य संवेदनशील गाड़ियों के लिए अचानक अनुरक्षण की व्यवस्था अपनाई जाएगी।

5. अचानक अनुरक्षण का सीधा नियंत्रण संबंधित निरीक्षक/प्रभारी राजकीय रेलवे पुलिस थाना द्वारा किया जाएगा जो गाड़ी के आगमन के 1-2 घण्टे पहले निर्णय ले सकते हैं कि इसे अनुरक्षण दिया किया या नहीं। ऐसी गाड़ियों को तीन-चार दिन लगातार अनुरक्षण देने के बाद सप्ताह में अचानक एक या दो दिन अनुरक्षण किया जा सकता है तथा पुनः लगातार दो या तीन दिन के लिये अनुरक्षण किया जा सकता है और यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलेगी। इसके पीछे धारणा यह कि अनुरक्षण का कोई निर्धारित पैटर्न नहीं होना चाहिए। यह एक उपयुक्त निवारक का काम करेगा चूंकि अपराधियों/असामाजिक तत्वों को यह पता नहीं चल पाएगा कि किसी विशेष दिन ट्रेन को अनुरक्षण दिया गया है या नहीं । यह योजना का सार है तथा इसकी सफलता पूरी तरह संबंधित निरीक्षक/रे.सु.ब., प्रभारी राजकीय रेलवे पुलिस थाना की सक्रिय मॉनिटरिंग पर निर्भर करती है।

6. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त निम्नलिखित प्रोफार्मा में अपने मुख्य सुरक्षा आयुक्त तथा संबंधित एडीजी/आईजी, जी.आर.पी. को आगामी माह के संबंध में एक चार्ट प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को प्रस्तुत करेंगे।

मंडल की सभी गाड़ियों की गाड़ी सं.	अत्यधिक संवेदनशील	संवेदन शील	जो संवेदनशील नहीं है।	असुरक्षा के कारण	जिस सैक्शन में संवेदनशील हैं।	उस सैक्शन से गुजरने का समय	जीआरपी द्वारा अनुरक्षण		आरपीएफ द्वारा अनुरक्षण	
							प्रतिदिन	अचानक	प्रतिदिन	अचानक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. अनुरक्षण में सामान्य तौर पर एक प्रभारी (उ.नि., स.उ.नि., हे. का.) तथा 05 कांस्टेबल होने चाहिए । यदि कर्मियों की कमी हो तो कम संवेदनशील खंडो पर छोटे आकार का अनुरक्षण दिया जा सकता है ।

8. प्रभारी राजकीय रेलवे पुलिस थाना तथा निरीक्षक/रेसुब को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी जी.आर.पी./आर.पी.एफ. कर्मचारी नशे की हालत में अनुरक्षण के लिए नहीं भेजा जाए।

9. अनुरक्षण पार्टी को निम्नलिखित के संबंध में जानकारी होनी चाहिये-
क. सक्रिय अपराधी (उनकी तस्वीर या शारीरिक विवरण सहित यदि उपलब्ध हो)
ख. जी.आर.पी. थाना/ आर.पी.एफ. पोस्ट, स्थानीय पुलिस, आर.पी.एफ. नियंत्रण कक्ष आदि के फोन नम्बर ।
ग. जिस ट्रेन को वे अनुरक्षण कर रहे हो उसकी कोई विशेष संवेदनशीलता यदि कोई हो (यथा वह गांव जहां चेन पुलिंग होती है, वह प्रभावित खण्ड जिसमें डकैती, लूट, टीओपीबी, जहरखुरानी आदि घटनाएं होती है) ।
घ. "क्या करें या क्या न करें" की मुद्रित प्रति/सफाई से टंकित की गई प्रति (स्थानीय भाषा में) ।

10. अनुरक्षण पार्टी के कमान्ड प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जारी किए जाएं तथा उसकी प्रविष्टि सामान्य डायरी/रोजनामचा में की जाए।

11. किसी एक ही व्यक्ति को एक ही खण्ड/ट्रेन के लिए बार-बार या लगातार अनुरक्षण में नहीं भेजना चाहिए।

12. प्रभारी निरीक्षक/ड्यूटी अधिकारी द्वारा अनुरक्षण पार्टी को विस्तार से उस खण्ड या गाड़ी के बारे में विशेष समस्याओं का विवरण देना चाहिए जिसके लिए अनुरक्षण पार्टी को नियुक्त किया गया है यथा उस क्षेत्र में सक्रिय अपराधी/समाज विरोधी तत्व तथा क्या करें या क्या न करें। उन्हें आत्म रक्षा के बारे में भी बताना चाहिए यथा किन परिस्थितियों में बल/हथियार आदि का प्रयोग कर सकते हैं, यात्रियों एवं स्वयं के जान एवं माल की सुरक्षा के लिए।

13. अनुरक्षण की जांच व्यक्तिगत रूप से प्रभारी निरीक्षक द्वारा (सप्ताह में कम से कम तीन एस्कॉर्ट), सहायक सुरक्षा आयुक्त द्वारा(प्रति सप्ताह कम से कम 02 अनुरक्षण) वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त /मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा (प्रति माह कम से कम 04 अनुरक्षण) अति संवेदनशील खण्ड/गाड़ियों में जहां तक संभव हो, अपने प्रधान कार्यालय से की जाएगी। ऐसी जांच के दौरान जांच करने वाला अधिकारी अनुरक्षण पार्टी प्रभारी के कमांड प्रमाणपत्र के पीछे प्रविष्टि करेगा। जांच करने वाले अधिकारी अनुरक्षण की सजगता तथा दृश्यता जांच के लिए यात्रियों से भी वार्ता करेंगे। वे अनुरक्षण के बारे में यात्रियों के जवाब की डायरी में प्रविष्टि करेंगे तथा 24 घंटे के अंदर इसे सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके अगले बड़े अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

14. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि ड्यूटी अधिकारी/पोस्ट तथा आउट पोस्ट व प्रभारी निरीक्षक यात्रा के दौरान अनुरक्षण पार्टी से एक सप्ताह में कम से कम पांच गाड़ियों में मिलेंगे।

15. वरिष्ठ अधिकारी तथा निरीक्षक/उप निरीक्षक जो अनुरक्षण की औचक जांच कर रहे हैं या ट्रेन में रात्रि की ड्यूटी पर लगे अधिकारी आर.पी.एफ. अनुरक्षण की व्यवहार संबंधी, उनकी मानसिक सतर्कता,संरक्षा, हथियारों का समुचित नियंत्रण तथा दुर्घटना वश गोली चलने की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व उपायों के लिए जांच करेंगे।

16. अनुरक्षण के प्रभारी को अनुरक्षण टीम द्वारा दी गई जानकारी को गंतव्य स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट के प्रतिदिन की डायरी में अवश्य दर्ज करना चाहिए तथा संबंधित निरीक्षक प्रत्येक पंद्रह दिन में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/ सुरक्षा आयुक्त को इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा।

17. आर.पी.एफ. ट्रेन अनुरक्षण गलत कार्यों में संलग्न ना हो इसके लिए आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ कर्मचारियों द्वारा नियमित औचक जांच की जाएगी। गलत कार्यों में लिप्त आर पी एफ कर्मी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। आर.पी.एफ. ट्रेन अनुरक्षण के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए।

18. मंडल अधिकारियों तथा प्रभारी निरीक्षक की जांच में बताई गई बातों को वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त और मु.सु.आ. के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

19. वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा एक प्रेक्षण दल गठित की जानी चाहिये जो मेल/एक्सप्रेस गाडियों के आरपीएफ अनुरक्षण के कार्य के बारे में यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने से संबंधित जानकारी लेनी होगी। इस क्षेत्र में सुधार के लिए यात्रियों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हेतु उनके फीडबैक लेने के लिए आरपीएफ द्वारा यात्रियों को फार्म वितरित किया जाना चाहिए।

20. यात्रियों के प्रति विनम्र होने के लिए अनुरक्षण पार्टी को विशेष रुप से प्रशिक्षित करना चाहिये।

21. अनुरक्षण पार्टी को सभी अनिर्धारित ठहराव और चेन पुलिंग आदि की तत्काल जांच करनी चाहिये।

22. वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अनुरक्षण पार्टी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट फॉर्म उपलब्ध हो ताकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यात्रियों को यात्रा नहीं रोकनी पड़े और मार्ग में ही एफआईआर दर्ज की जा सके। फॉर्म में क्रम सं. दर्ज होनी चाहिये तथा हर क्रम सं. के लिये फार्म की तीन प्रति होनी चाहिये। फार्म भरकर सभी तीन प्रतियों पर संबंधित यात्रियों के तथा उपस्थित वरिष्ठतम आरपीएफ कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाने के बाद एक कॉपी शिकायत कर्ता को देनी चाहिये। बची हुई दो कॉपियां अगले आरपीएफ पोस्ट पर देनी चाहिये जहां ट्रेन का निर्धारित ठहराव है। आरपीएफ पोस्ट द्वारा उस शिकायत को एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा (जिसमें शिकायत कर्ता का नाम, गाड़ी सं. एवं गाड़ी का नाम, घटना होने की तिथि, शिकायत की प्रकृति आदि दर्ज होंगे)। इस के बाद इन दोनों प्रतियों को तत्काल सबसे नजदीकी जीआरपी पोस्ट को विशेष वाहक द्वारा भेजा जायेगा। जीआरपी को प्राप्ति की पावती देनी चाहिये। एक प्रति जीआरपी द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति आर.पी.एफ.पोस्ट वापस लाई जायेगी जहां इसको फाइल किया जायेगा। यदि जी.आर.पी. कर्मी शिकायत की पावती देने से मना करते हैं तो आर.पी.एफ. वाहक इस तथ्य को आरपीएफ की कॉपी में उस जी.आर. कार्मिक के नाम के साथ दर्ज करेगा जिसे शिकायत सौंपी गई थी। शिकायत की क्रम सं. तथा संक्षिप्त तथ्य एवं इसे जीआरपी को सौंपे जाने संबंधी तथ्य रोजनामचा(सामान्य डायरी) में दर्ज किये जायेंगे तथा वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/आर.पी.एफ. के माध्यम से संबंधित पुलिस अधीक्षक (रेल) को यह रिपोर्ट दी जायेगी।

रे.सु.ब.पोस्ट पर(16 हेड) के तहत यात्रियों के प्रति अपराध की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए जो रा.रे.पु./सिविल पुलिस को पंजीकरण के लिए भेजा जाने वाला रजिस्टर-

क्र. सं.	यात्री का नाम व पता जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत प्राप्त करने की तिथि	संक्षेप में तथ्य	रा.रे.पु./सिविल पुलिस को भेजने की तिथि	पुलिस स्टेशन का नाम	मामले का एफआईआर नं.	रजिस्ट्रेशन की तिथि	अंतिम निस्तारण की तिथि व प्रकृति

गाड़ी अनुरक्षण स्टाफ के लिए दिशा निर्देश

<u>क्या करें</u>

ट्रेन अनुरक्षण के लिए रवाना होने से पहले की कार्यवाही :-

1. हथियार-गोलाबारूद(आर्मस-एम्यूनेशन), मूवमेन्ट ऑर्डर, एफ.आई.आर.फार्म, ड्रेगन सर्च लाईट, वॉकी-टॉकी, यात्रा प्राधिकार आदि प्राप्त करने हेतु गाड़ी रवाना होने के एक घण्टा पूर्व पोस्ट पर रिपोर्ट करें।

2. जेब में रखी व्यक्तिगत राशि को इस उद्देश्य हेतु रखे गए रजिस्टर में दर्ज करें तथा मूवमेन्ट ऑर्डर में भी इसकी प्रविष्टि करें।

3. संबंधित गाड़ी के आने से ठीक 30 मिनट पहले प्लेट फार्म पर पहुँच जाये।
4. जिस क्षेत्र से गाड़ी जायेगी उसके भौगोलिक क्षेत्र से परिचित होना चाहिए ।
5. गाड़ी रवाना होने से पहले गार्ड और ड्राइवर को रिपोर्ट करें और सुनिश्चित करें कि गाड़ी के निर्धारित ठहराव, सावधानी बरतने के आदेश(कासन), (सेक्शन) आदि की जानकारी हो।

ट्रेन अनुरक्षण के दौरान :

1. सुनिश्चित करें कि कर्मी ट्रेन के अगले एवं पिछले भाग में पहुंचे तथा दो या तीन के समूह में निश्चित अंतराल पर कोचों में जाएं तथा सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं का आदान - प्रदान करें।
2. अगले ठहराव स्टेशन के आने से पहले चलती गाड़ी में कम से कम तीन या चार कोचों में चक्कर लगाकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ।
3. महिला बोगी पर खासकर रोडसाइड स्टेशनों पर ठहराव के दौरान विशेष निगरानी रखें। आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान दें तथा पुरूषों को महिला बोगी में जाने न दें।
4. भिखारियों, अनधिकृत वेंडरों को रोकें तथा ज्वलनशील / खतरनाक वस्तुओं के प्रति सतर्क रहें।
5. यात्रियों को दरवाजे बंद रखने एवं अपने सामान को चेन लगाकर रखने की सलाह दें। यात्रियों को अपने कीमती सामानों की सुरक्षा और अनजान व्यक्तियों द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ एवं पेय से दूर रहने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।
6. गाड़ी के स्टेशन या सेक्शन के बीच में रूकने पर ट्रेन के दोनों साइड में उतरें, सीटी बजाएं एवं ड्रैगन सर्च लाइट को ऑन कर लें।
7. गाड़ी स्टेशन से चलने व रुकने के समय धीमी गति में हो तो दरवाजे के पास मौजूद रहें और नजर रखें कि कोई चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसे ही समय में अपराधी यात्रियों का सामान छीनकर उतर जाते हैं।
8. यात्रियों को सूचित करें कि वे प्लेटफार्म पर या कोच के अंदर मिली किसी भी लावारिस एवं छोड़ी गई वस्तु को न छुएं तथा ऐसी वस्तुओं की सूचना अनुरक्षण कर्मियों/रेलवे कर्मचारी को दें।
9. स्टेशनों पर प्लेटफार्म ड्यूटी पर लगे आर.पी.एफ. कर्मियों को अपने हस्ताक्षर दें तथा उनके हस्ताक्षर लें।
10. यात्रियों से शिष्टाचार से पेश आए तथा किसी अपराध की स्थिति में अपराध की एफ.आई.आर.दर्ज करवाने में उनकी सहायता करें।
11. ट्रेन अनुरक्षण के लिए नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के बीच संप्रेषण होना चाहिए । उन्हें महिला यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा आवश्यकता होने पर उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें अपने आप को अनुरक्षण पार्टी के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा यात्रियों से तालमेल बनाना चाहिए।
12. किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में तत्काल संबंधित आई पी एफ तथा मंडल नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।
13. मार्ग में पकड़े गये अपराधियों को अगले स्टेशन पर रिपोर्ट के साथ आरपीएफ/जीआरपी को सुपुर्द करें।
14. पहले वाली तथा बाद वाली अनुरक्षण पार्टी के साथ बदलाव के स्थान पर उपयुक्त तरीके से चार्ज लें व दें।
15. अनुरक्षण के दौरान अनुशासित रहें तथा गाड़ियों में आपकी उपस्थिति लोगों को दिखे।
16. सभी सुरक्षा जांच सुनिश्चित करें ताकि आवांछित घटनाओं को रोका जा सके।
17. विकलांग यात्रियों के कोच की जांच करें।
18. किसी विशेष स्थिति के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करें।

यदि चोरी की सूचना मिले:-

1. शिकायत प्रपत्र भरवाएं तथा घटना से प्रभावित यात्री से हस्ताक्षर करवाएं एवं यदि टी टी ई उपस्थिति हो तो उसकी मौजूदगी में पावती दें।
2. अगले आर.पी.एफ.पोस्ट को सूचित करें तथा जांच कार्य सुविधाजनक हो इसके लिए प्लेटफार्म पर आरपीएफ एवं जीआरपी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
3. अपराध के शिकार यात्रियों के प्रति सहानुभूति रखे और उनकी सहायता करें।

यदि कोई चोरी या चोरी का प्रयास करता हुआ पाया जाए या ट्रेन में या प्लेटफार्म पर कोई अपराध करता पाया जाए :-

1. अपराधी को पकड़ लें।
2. अपराधी की तलाशी लें यदि आवश्यक हो तो साक्षी की उपस्थिति में ।
3. पंचनामा तथा तलाशी रपट तैयार करें।
4. प्रभावित यात्री से शिकायत प्राप्त करें।
5. वस्तु, दस्तावेज तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ अपराधी को नजदीकी आर पी एफ पोस्ट के प्रभारी को सुपुर्द करें जो अविलंब उसे जी आर पी को सुपुर्द करेगा।

दुर्घटना होने की स्थिति में :-

1. जहां तक संभव हो बचाव कार्य में सहायता करें।
2. रेलवे संपत्ति तथा यात्रियों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करें ।
3. सुरक्षा नियंत्रण कक्ष और स्थानीय पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना दें।

क्या नहीं करें:-

1. गाड़ी में अनुरक्षण ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता न करें।
2. यात्रियों की टिकट-जांच न करें ।
3. जांच के बहाने यात्रियों को परेशान न करें।
4. किसी भी प्रकार की ऐसी अवांछित गतिविधि में लिप्त न हो जिससे सुरक्षा बल की छवि खराब हो और बदनामी हो।
5. सर्विस हथियार का अवांछित प्रदर्शन न करें या ट्रेन में या प्लेटफार्म पर सार्वजनिक जगह पर हथियारों का लापरवाही से संचालन न करें।

विविध-

1. वरिष्ठ अधिकारियों को आर पी एफ कर्मचारियों के साथ नियमित संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए ताकि उन्हें सम्मत किया जा सके और उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। साथ ही आर पी एफ के फील्ड लेवल अधिकारियों, वाणिज्य, परिचालन एवं जी आर पी के बीच समन्वय बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि समय-समय पर अनुरक्षण द्वारा बताएं गए मामलों का हल निकाला जा सके।
2. हथियारों को जिम्मेदारी तथा सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए खासकर भीड़ भरी ट्रेन में या स्टेशनों पर। यह बात आर.पी.एफ. के कर्मचारियों को सुरक्षा सम्मेलनों में बतानी चाहिए ताकि आकस्मिक गोली बारी को रोका जा सके। पोस्ट स्तर पर इंस्पेक्टर तथा आउट पोस्ट स्तर पर आउट पोस्ट के प्रभारी द्वारा ड्यूटी की माउंटिंग तथा डिसमाउंटिंग के समय यह बतानी चाहिए। सुरक्षा सम्मेलनों में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त तथा सहा. सुरक्षा आयुक्त सुरक्षा, सम्मेलनों के दौरान आर.पी.एफ. कर्मियों को यह बताएं ।

मुख्य सुरक्षा आयुक्त की भूमिका –

1. ट्रेन अनुरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आर पी एफ नियम 259.5 के अनुसार मुख्य सुरक्षा आयुक्त तथा जी आर पी प्रमुख के बीच समन्वय बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि उन मुद्दों का हल ढूंढा जा सके।
2. मुख्य सुरक्षा आयुक्त को वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ संपर्क रखना चाहिए ताकि अनुरक्षण पार्टी को सिम कार्ड उपलब्ध करवाया जा सके तथा व्यवस्था की जा सके कि यह सीयूजी(CUG) मोबाइल नंबर आरक्षण चार्ट/टिकट पर मुद्रित हो। इससे यात्रियों को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए अनुरक्षण पार्टी से शीघ्र सम्पर्क करने में मदद मिलेगी।
3. मुख्य सुरक्षा आयुक्त, अपर सुरक्षा आयुक्त तथा उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनुरक्षण पार्टी की आकस्मिक जांच की जानी चाहिए।

– sd –
महानिदेशक/रे.सु.ब.